Annexure (14)

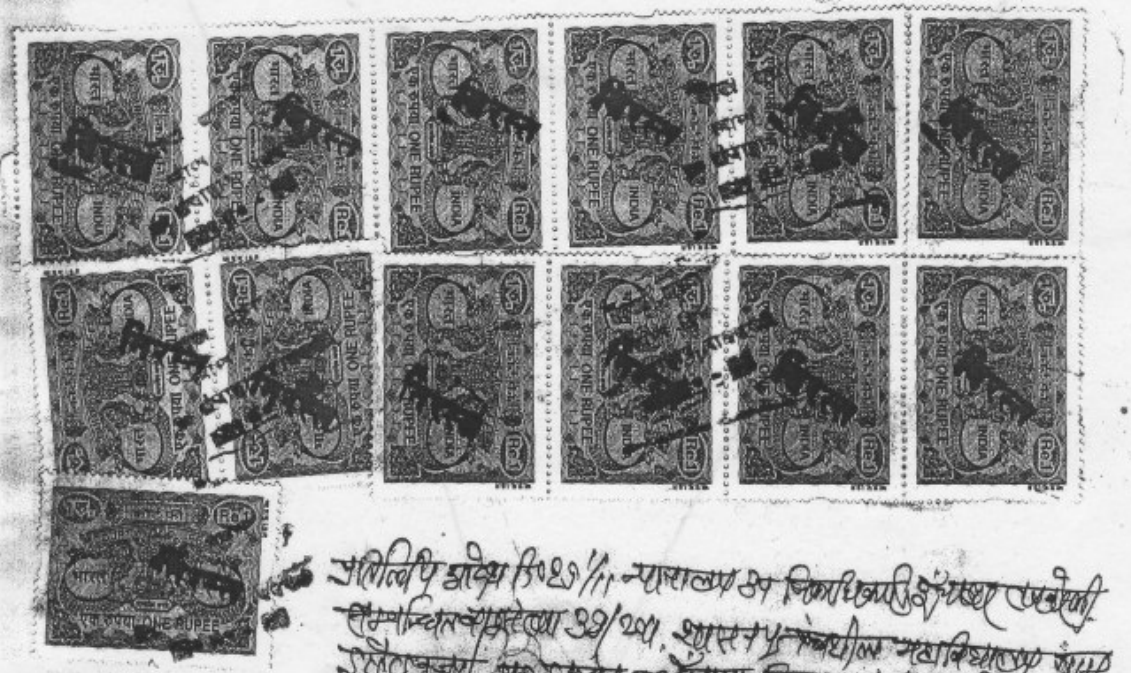

प्रतिलिपि आदेश दि० २९/११ न्यायालय उप निबन्धक इंचार्ज एवं रोकी सम्बन्धित वाद संख्या ३३/२०१, शासन पंचशील महाविद्यालय ग्राम इटौरा बजुर्ग पं० संजान तथा इंचार्ज बिना एवं रोकी अंतर्गत धारा 143 जा०वि०अ०

(प्रमाणित प्रमाणित संलग्न)

पंचम मौर्य
प्रबन्धक
पंचशील महाविद्यालय
ग्राम इटौरा बजुर्ग

NOTARY
GAJACHAR LAL VERMA
Advocate
Kishanchar
GOVT. OF U.P. (INDIA)

Attested
GAJACHAR LAL
Advocate/Notary
Kishanchar, Rae Ra

Annexure (14)

प्रतिलिपि आदेश दि० 29/11 न्यायालय अ० निकायिकारी इंचार्ज एवं रोकी सम्बन्धित वाद संख्या 39/2011 शासन पंचशील महाविद्यालय ग्राम इटौंटा बजुर्ग पं० सलोन तथा इंचार्ज निम एवं रोकी अंतर्गत धारा 143 ज० वि० अ०

(प्रमाणित प्रमाणित संलग्न)

पंचम मौर्य
प्रबन्धक
पंचशील महाविद्यालय
[illegible] इटौरा बजुर्ग
[illegible]

NOTARY
GAJACHAR LAL VERMA
Advocate
Tal. Unchahar
Distt. Raibareli
Reg. No. 36 (54) 2008
GOVT. OF U.P. (INDIA)

Attested
GAJACHAR LAL
Advocate/Notary
Tal. Unchahar Rae Ra

Annexure (14)

प्रतिलिपि

न्यायालय उप जिलाधिकारी ऊंचाहार, रायबरेली ।

वाद संख्या :39/2011

अंतर्गत धारा :143ज0वि0अ0
ग्राम इटौराबुजुर्ग परगना सलोन,
तहसील ऊंचाहार जिला रायबरेली ।

शासन बनाम पंचशील महाविद्यालय

निर्णय

प्रस्तुत वाद उ0प्र0ज0वि0एवं भू0व्य0अधिनियम की धारा :143 में दी गयीव्यवस्था के अधीन शासन/मा0राजस्व परिषद, उ0प्र0 द्वारा दिये गयेआदेशों के क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में स्वप्रेरणा से संज्ञान लेते हुए क्षेत्रीय लेखपाल की आख्या दिनांक:15-1-11 केआधार पर इस न्यायालय में योजित हुआ । नियमानुसार वाद पंजीकृत किया गया । पत्रावली प्रस्तुत हुई, जिसका अवलोकन किया गया। क्षेत्रीय लेखपाल ने अपनी आख्या में कहा हैकि ग्राम इटौराबुजुर्ग परगना सलोन तहसील ऊंचाहार स्थित भूमि गाटा संख्या :1831क/0.399हे0 पंचशील महाविद्यालय व गाटा संख्या :1831ख/0.218हे0पंचशील महाविद्यालय प्रबंधक, पंचम पुत्रपराग नि0ग्राम इटौरा बुजुर्ग के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है । उक्त गाटे के संपूर्ण भाग पर विद्यालय भवन स्थित है, जिस पर कृषि कार्य नहीं होता है । उपरोक्तानुसार क्षेत्रीय लेखपालद्वारा उक्त भूमि को धारा :143ज0वि0अ0 के अंतर्गत आकृषिक प्रयोजन की भूमि घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रस्तुत की गयी है ।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध कागजातों का सम्यक अवलोकन किया गया । जिससे स्पष्ट हुआ कि वादग्रस्त भूमि गाटा संख्या :1831क/0.399हे0स्थित ग्राम इटौरा बुजुर्ग परगना सलोन तहसील ऊंचाहार राजस्व अभिलेखों में पंचशील महाविद्यालय सम्राट अशोक नगर प्रबंधक पंचम पुत्र पराग नि0ग्राम इटौराबुजुर्ग व गाटा संख्या :1831ख/0.218हे0मालगुजारी 2.35पैसे पंचशील विद्यालय सम्राट अशोक नि0ग्राम द्वारा प्रबंधक पंचम पुत्र पराग नि0ऊंचाहार के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है । क्षेत्रीय लेखपाल की आख्यानुसार वादग्रस्त भूमि उपरोक्त के संपूर्ण भाग पर विद्यालय भवन स्थित है तथा चारों ओर पक्की बाउण्ड्री भी बनी हुई है, जिस पर कृषि कार्य नहीं होताहै ॥ अतः कृषि कार्य से भिन्न प्रयोजन में लाये जाने के कारण वादग्रस्तभूमि उपरोक्त को आकृषिक/आवासीय घोषित किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है ।

आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में ग्राम इटौराबुजुर्ग परगना सलोन तहसील ऊंचाहारकी ~~भूमि [illegible]~~ खतौनी वर्ष 1414फ0 से 1419फ0तक के खाता संख्या :3105 के गाटा संख्या :1831क/0.399हे0एवं खाता संख्या :1781 के गाटा संख्या :1831ख/0.218 हे0मा0गु02.35पैसे पर अंकित खातेदार पंचशील महाविद्यालय सम्राट अशोक नगर इटौरा बुजुर्ग, प्रबंधक पंचम पुत्र पराग नि0ऊंचाहार कीभूमि को, जो स्थल पर कृषि, बागवानी, कुक्कुट पालन, मत्स्य संवर्धन आदि कृषिक प्रयोजन में नहीं आरही है, उसे इस प्रयोजन से असंबद्ध प्रयोजन आकृषिक/आवासीय उद्देश्य हेतु घोषित किया जाता है । इस आदेश का अंकन प्रश्नगत खाते पर खतौनी में खातेदार के नाम के सम्मुख सुसंगत स्तम्भ में किया जायेगा और आगे निर्मित होनेवाली खतौनियों में इसका अंकन बराबर होता रहेगा । तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो । बाद परवाना पत्रावली संचित अभिलेखागार हो । आदेश की प्रति उ0प्र0ज0वि0एवं भू0व्य0नियमावली के नियम 137 के अंतर्गत उप निबंधक ऊंचाहार को विधिवत पंजीकृत किये जाने हेतु भेजी जाये ।

दिनांक: 29/01/2011

एस0एन0 [illegible]
उप जिलाधिकारी ऊंचाहार
रायबरेली ।

क्रमांक 174
प्रा० पत्र देने की तिथि
तैयारी की तिथि
जारी की तिथि
देय 13-09
मिलान कर्ता के हैं
तैयार कर्ता के हैं

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित
रीडर/अध्यक्ष
उप जिला अधि० ऊंचाहार
रायबरेली

प्रबन्धक
पंचशील महाविद्यालय
सम्राट अशोक नगर इटौरा बुजुर्ग
रायबरेली

GAJACHHAR LAL
Advocate/Notary
Dist. Unchahar, Rae Ba...

GAJACHHAR LAL
Advocate
Dist. Unchahar
Dist. Raibareli
GOVT. OF U.P. (INDIA)

Annexure (15)

प्रतिलिपि आदेश दि० [illegible] न्यायालय अधिकारी ऊँचाहार रायबरेली
सम्बन्धित वाद संख्या 61/2011, शासन 4, पंचम आदि ग्राम इटौरा बुजुर्ग
प० सलोन तथा ऊँचाहार निगर रायबरेली. अंतर्गत धारा 143 जपनियम

प्रमाणित धारा प्रति संलग्न

पंचममौर्य
प्रबन्धक
पंचशील महाविद्यालय
[illegible] अशोक नगर इटौरा बुजुर्ग
रायबरेली

NOTARY
GAJADHAR LAL VERMA
Advocate
Tah Unchahar
Distt Raibareli
GOVT. OF U.P. (INDIA)

Attested
GAJADHAR LAL
Advocate/Notary
Tah Unchahar Rae Ra

Annexure (15)

न्यायालय उप जिलाधिकारी ऊंचाहार, रायबरेली ।

वाद संख्या: 61/2011

अंतर्गत धारा: 143 ज0वि0अ0
ग्राम इटौराबुजुर्ग परगना सलोन,
तहसील ऊंचाहार, जिला रायबरेली ।

शासन बनाम पंचम आदि

निर्णय

प्रस्तुत वाद उ0प्र0जा0वि0एवं भूमि व्यवस्था नियमावली की धारा: 143 में दी गयी व्यवस्था के अधीन शासन/मा0राजस्व परिषद, उ0प्र0द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में स्वप्रेरणा से संज्ञान लेते हुए क्षेत्रीय लेखपाल/रा0नि0/तहसीलदार ऊंचाहार की आख्या क्रमशः दिनांक: 30-5-11, 17-6-2011, 17-6-2011 के आधार पर इस न्यायालय में योजित हुआ । नियमानुसार वाद पंजीकृत कर विपक्षी को नोटिस जारी की गयी । तामीला नोटिस वापस आयी, जो शामिल निथिल है । कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई । प्रतिपक्षी मय अधिवक्ता हाजिर न्यायालय आये एवं वादग्रस्त भूमि के बटवारे के पश्चात गाटा संख्या: 1830मि0 0.063हे0 पंचशील महाविद्यालय स्माट अशोक नगर इटौराबुजुर्ग, रायबरेली के नाम दर्ज भूमि को आकृषिक/आबादी घोषित किये जाने की याचना की गयी है । क्षेत्रीय लेखपाल ने अपनी आख्या में कहा है कि ग्राम इटौराबुजुर्ग परगना सलोन तहसील ऊंचाहार की भूमि गाटा संख्या: 1830/0.506हे0 खातेदार पंचम पुत्र पराग क्रम के नाम दर्ज कागजात है, उक्त गाटे में बाउण्ड्री बनी हुई । यह भूमि पंचशील महाविद्यालय परिसर से मिली हुई है । उक्त भूमि में खरीफ में उर्द बोया गया था तथा एक कमरा मौके पर बना हुआ है । क्षेत्रीय लेखपाल की उपरोक्त आख्यानुसार राजस्व निरीक्षक द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी है तथा तहसीलदार ऊंचाहार द्वारा लेखपाल/रा0नि0 की उक्त आख्या सत्यापित किया गया है । प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक: 1-8-11 के क्रम में क्षेत्रीय लेखपाल से पुनः आख्या प्राप्त की गयी । जिसमें यह उल्लिखित किया गया है कि गाटा संख्या: 1830मि0/0.063हे0 पंचशील महाविद्यालय के नाम दर्ज कागजात है। धारा 176 के तहत गाटा संख्या: 1830/0.506हे0 में से रकबा: 0.063हे0 महाविद्यालय के नाम तनहा दर्ज है । यह भूमि महाविद्यालय के उपयोग में प्रयोग की जाती है, जो धारा: 143 के अंतर्गत आवासित घोषित किये जाने योग्य है ।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध कागजातों का सम्यक अवलोकन किया गया । जिससे स्पष्ट हुआ कि वादग्रस्त भूमि गाटा संख्या: 1830मि0/0.063हे0 मालगुजारी 2.80 पैसे स्थित ग्राम इटौराबुजुर्ग परगना सलोन तहसील ऊंचाहार जिला रायबरेली राजस्व अभिलेखों में पंचशील महाविद्यालय स्माट अशोक नगर इटौराबुजुर्ग रायबरेली द्वारा प्रबंधक पंचम मौर्य पुत्र पराग मौर्य निवासी स्टेट ऊंचाहार के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है । क्षेत्रीय लेखपाल की आख्यानुसार वादग्रस्त भूमि उपरोक्त पंचशील महाविद्यालय के उपयोग में प्रयोग की जाती है । अतः कृषि कार्य से भिन्न प्रयोजन में लाये जाने के कारण वादग्रस्त भूमि उपरोक्त को आकृषिक घोषित किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है ।

क्रमशः पृष्ठ: दो पर----

प्रबन्धक
पंचशील महाविद्यालय
स्माट अशोक नगर इटौरा बुजुर्ग
रायबरेला

NOTARY
GAJADHARLAL VERMA
Advocate
Ran Unchahar
Dist. Raibareli
Regd. No. 36 (A) 2008
GOVT. OF U.P. (INDIA)

Advocate/Notary

आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में ग्राम इटौराबुजुर्ग परगना सलोन तहसील ऊंचाहार जिला रायबरेली की खतौनी वर्ष 1414फ0 से 1419फ0तक के खाता संख्या:00836 के गाटा संख्या:1830मि0/0.063हे0पर अंकित खातेदार पंचशील महाविद्यालय सम्राट अशोक नगर इटौराबुजुर्ग,रायबरेली द्वारा,प्रबंधक पंचम मौर्य पुत्र पराग मौर्य नि0मौर्या स्टेट ऊंचाहार की भूमि को,जो स्थल पर कृषि,बागवानी,कुक्कुट पालन,मत्स्य संवर्धन आदि कृषिक प्रयोजन में नहीं आ रही है,उसे इस प्रयोजन से असम्बद्ध प्रयोजन अकृषिक घोषित किया जाता है। इस आदेश का अंकन प्रश्नगत खाते पर खतौनी में खातेदार के नाम के सम्मुख सुसंगत स्तम्भ में किया जायेगा और आगे निर्मित होने वाली खतौनियों में इसका अंकन बराबर होता रहेगा। पत्रावली पर रक्षित नजरी नक्शा लेखपाल मय आख्या,जिस पर मेरे सूक्ष्म हस्ताक्षर [illegible] वह इस आदेश का अंग होगा। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो [illegible] पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

दिनांक: 2-8-2011

(डी0पी0मिश्र)
उप जिलाधिकारी ऊंचाहार,
रायबरेली।

क्रमांक 175
पा० पत्र देने की तिथि 08/9/11
तैयारी की तिथि 08/9/11
जारी [illegible] की तिथि 08/9/11
[illegible] 13.00 08/9/11
मिलान कर्ता के ह०
तैयार कर्ता के ह०

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित
रीडर/अहलमद
उप जिला अधि० ऊंचाहार
रायबरेली

पंचम मौर्य
प्रबन्धक
पंचशील महाविद्यालय
सम्राट अशोक नगर इटौरा बुजुर्ग
रायबरेली

NOTARY
GAJADHAR LAL VERMA
Advocate
Tan Unchahar
Dist. Raibareli
Reg. No. 36 (54) 2008
GOVT. OF U.P. (INDIA)

GAJADHAR
Advocate/Notary
Tan Unchahar Rae Ba

Annexure (16)

प्रतिलिपि आदेश दि० 05 [illegible] न्यायालय उप जिलाधिकारी [illegible] रायबरेली
सम्बन्धित वाद सं० 64/2011 शासनपत्र प्रबन्धक पंचम मौर्य [illegible] ग्राम
इटौरा बुजुर्ग पंचशील [illegible] जिला रायबरेली, अंतर्गत धारा 14 [illegible]

(प्रमाणित छाया प्रति संलग्न)

पंचम मौर्य
प्रबन्धक
पंचशील महाविद्यालय
सम्राट अशोक नगर इटौरा बुजुर्ग
रायबरेली

NOTARY
GAJADHAR LAL VERMA
Advocate
Tan. Unchahar
Lalgarh Raibareli
Reg. No. 36 (54) 2008
GOVT. OF U.P. (INDIA)

GAJADHAR LAL
Advocate/Notary
Tan. Unchahar, Rae Bareli

Annexure (16)

प्रतिलिपि

न्यायालय उप जिलाधिकारी ऊंचाहार, रायबरेली ।

वाद संख्या: 62/2011 अंतर्गत धारा: 143ज0वि0अ0
ग्राम इटौराबुजुर्ग परगना सलोन,
तहसील ऊंचाहार जिला रायबरेली ।

शासन ___ बनाम ___ प्रबंधक पंचम मौर्य आदि

निर्णय

प्रस्तुत वाद उ0प्र0ज0वि0एवं भू0व्य0अधिनियम की धारा: 143में दी गयी व्यवस्था के अधीन शासन/मा0रा0जस्व परिषद, उ0प्र0द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में जिला अधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में स्वप्रेरणा से संज्ञान लेते हुए क्षेत्रीय लेखपाल/रा0नि0/तहसीलदार ऊंचाहार की आख्या क्रमश: दिनांक: 30-5-2011, 17-6-2011, 17-6-2011 के आधार पर इस न्यायालय में योजित हुआ । नियमानुसार वाद पंजीकृत किया गया । पत्रावली प्रस्तुत हुई, जिसका अवलोकन किया गया। क्षेत्रीय लेखपाल/रा0नि0 ने अपनी आख्या में कहा है कि गाटा संख्या: 1823/2•602 हे0स्थित ग्राम इटौराबुजुर्ग परगना सलोन तहसील ऊंचाहार में से 1•562हे0 पंचशील महाविद्यालय के नाम ~~खतौनी~~ ज0वि0अ0की धारा: 176के अंतर्गत तनहा दर्ज कागजात है । वर्तमान समय में ~~खसभूमि~~ भूमि पंचशील महाविद्यालयके उपयोग में ली जा रही है तथा बाउण्ड्री बनी हुई है । उपरोक्तानुसार तहसीलदार ऊंचाहार ने राजस्व निरीक्षक की आख्या को संस्तुति सहित प्रेषित करते हुए अपनी आख्या दिनांक: 2-8-2011 में उल्लिखित किया है कि गाटा संख्या: 1823/2•602हे0स्थित ग्राम इटौराबुजुर्ग में से 1•562हे0 पंचशील महाविद्यालय के नाम तनहा दर्ज है । इस भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है, भूमि विद्यालय के उपयोग में ली जा रही है । बाउण्ड्री बनी है ।तदनुसार तहसीलदार ऊंचाहार द्वारा ज0वि0एवं भू0व्य0अधिनियम की धारा: 143 में उक्त भूमि को आकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रस्तुत की गयी है ।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध कागजातों का सम्यक अवलोकन किया गया । जिससे स्पष्ट हुआ कि वादग्रस्त भूमि गाटा संख्या: 1823 मि0/1•562हे0मालगुजारी 39•00रूपये स्थित ग्राम इटौराबुजुर्ग परगना सलोन तहसील ऊंचाहार, जिला रायबरेली राजस्व अभिलेखों में पंचशील महाविद्यालय सम्राट अशोक नगर इटौराबुजुर्ग द्वारा प्रबंधक पंचम मौर्य पुत्र पराग नि0मौर्या स्टेट ऊंचाहार के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है । तहसीलदार ऊंचाहार की आख्यानुसार वादग्रस्त भूमि उपरोक्त विद्यालय के उपयोग में ली जा रही है, बाउण्ड्री बनी हुई है । जिस पर कृषिकार्य नहीं होता है । अत: कृषि कार्य से भिन्न प्रयोजन में लाये जाने के कारण वादग्रस्तभूमि उपरोक्त को अकृषिक घोषित किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है । उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी द्वारा दिनांक: 2-8-2011 को मय अधिवक्ता हाजिर न्यायालय आकर वादग्रस्त भूमि कोअकृषिक घोषित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचना भी की गयी ।

क्रमश: पृष्ठ: दो पर---

प्रबन्धक
पंचशील महाविद्यालय
सम्राट अशोक नगर इटौरा बुजुर्ग
रायबरेली

NOTARY
GAJADHARLAL VERMA
Advocate
Teh. Unchahar
Distt. Raibareli
GOVT. OF U.P. (INDIA)

Advocate/Notary

आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में ग्राम इटौराबुजुर्ग परगना सलोन तहसील ऊंचाहार की खतौनी वर्ष 1414फ0 से 1419फ0तक के खाता संख्या:01661 के गाटा संख्या:1823 मि0/1.562हे0मालगुजारी 39.00रूपये पर अंकित खातेदार पंचशील महाविद्यालय सम्राट अशोक नगर इटौराबुजुर्ग द्वारा प्रबंधक पंचम मौर्य पुत्र पराग नि0मौर्या स्टेट ऊंचाहार की भूमि को,जो स्थल पर कृषि,बागवानी,कुक्कुटपालन,मत्स्य संवर्धन आदि कृषिक प्रयोजन में नहीं आ रही है,उसे इस प्रयोजन से असम्बद्ध प्रयोजन अकृषिक घोषित किया जाता है । इस आदेश का अंकन प्रश्नगत खाते पर खतौनी में खातेदार के नाम केसम्मुख सुसंगत स्तम्भ में किया जायेगा और आगे निर्मित होने वाली खतौनियोंमें इसका अंकन बराबर होतारहेगा । पत्रावली पर रक्षित लेखपाल नजरी नक्शा एवं आख्या तहसील-दार ऊंचाहार(दि02-8-2011),जिस पर मेरे सूक्ष्म हस्ताक्षर बने हैं,वह इस आदेश का अंग होगा । तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो । बाद परवाना पत्रावली संचित अभिलेखागार हो ।

दिनांक: 5-8-11

(डी0पी0मिश्र)
उप जिलाधिकारी ऊंचाहार,
रायबरेली ।

क्रमांक 136
प्रा० पत्र देने की तिथि 5/8/11
तैयारी की तिथि
जारी करने की तिथि
देय शुल्क 1300/-
मिलान कर्ता के ह०
तैयार कर्ता के ह०

रीडर अनुभाग
उप जिला अधि० ऊंचाहार
रायबरेली

पंचम मौर्य
प्रबन्धक
पंचशील महाविद्यालय
सम्राट अशोक नगर इटौरा बुजुर्ग
रायबरेली

NOTARY
GAJADHAR LAL VERMA
Advocate
Teh. Unchahar
Distt. Raibareli
GOVT. OF D.P. (INDIA)

GAJADHAR LAL
Advocate/Notary
Teh. Unchahar Rae Ba